गोपनीय

2023 का विधेयक सं. 3

राजस्थान वित्त विधेयक, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2023 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 4 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2
राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

3. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 59 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 59 के खण्ड (i) में विद्यमान अभिव्यक्ति "दो मास" के स्थान पर अभिव्यक्ति ''छह मास'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में विद्यमान अनुच्छेद 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" **33. पट्टा-** जिसके अंतर्गत अवर पट्टा या उपपट्टा तथा पट्टे या उपपट्टे पर देने के लिए कोई करार या इनका कोई भी नवीकरण है,-	खण्ड (i) से (vi) में उल्लिखित लिखतों की दशा में सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर निम्नलिखित कारकों को पट्टे की कालावधि पर लागू

	करने से अभिप्राप्त टेलीस्कोपिक दर पर, अर्थात्:-
जहां ऐसा पट्टा-	
(i) एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए तात्पर्यित है	0.02;
(ii) एक वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए तात्पर्यित है	0.12;
(iii) पांच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए तात्पर्यित है	0.9;
(iv) दस वर्ष से अधिक किन्तु पन्द्रह वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए तात्पर्यित है	2;
(v) पन्द्रह वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए तात्पर्यित है	5;
(vi) बीस वर्ष से अधिक किन्तु तीस वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए तात्पर्यित है	8;
(vii) तीस वर्ष से अधिक की कालावधि या शाश्वतता के लिए तात्पर्यित है, या किसी निश्चित कालावधि के लिए तात्पर्यित नहीं है	वही शुल्क जो हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर उस सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर लगता है:

परन्तु किसी भी मामले में जब पट्टा करने का करार पट्टे के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात् निष्पादित किया गया है, ऐसे पट्टे पर शुल्क सौ रूपये से अधिक नहीं होगा।

छूट.- खेतिहर की दशा में तथा खेती करने के प्रयोजनों के लिए निष्पादित पट्टा (जिसके अन्तर्गत खाद्य या पेय के उत्पादन के लिए वृक्षों का पट्टा है)।

स्पष्टीकरण.- पट्टे की कालावधि अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक वर्ष से कम की कोई कालावधि अगले एक वर्ष में पूर्णांकित की जायेगी।

दृष्टांत.-

1. **पांच वर्ष के पट्टे पर लागू स्टाम्प शुल्क की दर अभिप्राप्त करना:-**

$$\frac{[(1\times0.02)+(4\times0.12)]}{5} = \frac{0.5}{5} = 0.1$$

2. **पन्द्रह वर्ष और पांच मास के पट्टे पर लागू स्टाम्प शुल्क की दर अभिप्राप्त करना:-**

$$\frac{[(1\times0.02)+(4\times0.12)+(5\times0.9)+(5\times2)+(1\times5)]}{16} = \frac{20}{16} = 1.25$$

3. **पच्चीस वर्ष के पट्टे पर लागू स्टाम्प शुल्क की दर अभिप्राप्त करना:-**

$$\frac{[(1\times0.02)+(4\times0.12)+(5\times0.9)+(5\times2)+(5\times5)+(5\times8)]}{25} = \frac{80}{25} = 3.2$$ |"|

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 59 का खण्ड (i) परिसीमा की कालावधि को दो मास से छह मास तक बढ़ाये जाने के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, ताकि इसे उक्त धारा के खण्ड (ii) और (iii) के अधीन विहित परिसीमा की कालावधियों के समरूप किया जा सके।

पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क की दरों के साथ ही संगणना का तरीका युक्तिसंगत किये जाने की दृष्टि से राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 33 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अंतर्गत माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश

[सं.प. 12(5)वित्त/कर/2023 दिनांक 10.02.2023
प्रेषक:श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर]

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2023 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित और प्रचालित किये जाने की सिफारिश की है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) से लिये गये उद्धरण

XX **XX** **XX** **XX**

1. से 58. XX XX XX

59. धारा 58 के अधीन राहत दिये जाने के लिए आवेदन कब किया जायेगा.- धारा 58 के अधीन राहत दिये जाने के लिए आवेदन निम्नलिखित कालावधियों के भीतर-भीतर अर्थात्,-

(i) खण्ड (घ) (vi) में वर्णित मामलों में, लिखत की तारीख के दो मास के भीतर;

(ii) किसी ऐसे स्टाम्पित कागज के मामले में, जिस पर उसके किसी पक्षकार द्वारा कोई भी लिखत निष्पादित नहीं की गयी है, स्टाम्प के खराब हो जाने के छह मास के भीतर;

(iii) किसी ऐसे स्टाम्पित कागज के मामले में, जिस पर उसके पक्षकारों में से किसी के द्वारा कोई लिखत निष्पादित की गयी है, लिखत की तारीख के छह मास के भीतर या यदि उस पर तारीख नहीं है, तब ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जिसके द्वारा वह प्रथम बार या अकेले ही निष्पादित की गयी थी, उसके निष्पादित किये जाने के छह मास के भीतर, किया जायेगा:

परन्तु,-

(क) जब खराब हो गयी लिखत पर्याप्त कारण से भारत के बाहर भेज दी गयी है, तब आवेदन उसके भारत में वापस आ जाने के छह मास के भीतर किया जा सकेगा;

(ख) जब कोई लिखत जिसके स्थान पर अन्य लिखत प्रतिस्थापित की जा चुकी है, अनिवार्य परिस्थितियों के कारण उपर्युक्त कालावधि के भीतर रद्द करने के लिए पेश नहीं की जा सकती है तब आवेदन प्रतिस्थापित की गयी लिखत के निष्पादन की तारीख के छह मास के भीतर किया जा सकेगा।

60. से 91. XX XX XX

XX **XX** **XX** **XX**

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

लिखतों का वर्णन	**उचित स्टाम्प शुल्क**
1	2
1. से 32. XX XX	XX
33. पट्टा- जिसके अन्तर्गत अवर पट्टा या उपपट्टा तथा पट्टे या उपपट्टे पर देने के लिए कोई करार या उसका कोई भी नवीकरण है,- जहां ऐसा पट्टा-	
(i) एक वर्ष से कम अवधि के लिए तात्पर्यित है।	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.02 प्रतिशत।
(ii) एक वर्ष से अन्यून किन्तु पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए तात्पर्यित है।	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.1 प्रतिशत।
(iii) पांच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत।

अनधिक की अवधि के लिए तात्पर्यित है।	
(iv) दस वर्ष से अधिक किन्तु पन्द्रह वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए तात्पर्यित है।	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत।
(v) पन्द्रह वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए तात्पर्यित है।	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत।
(vi) बीस वर्ष से अधिक किन्तु तीस वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए तात्पर्यित है।	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का चार प्रतिशत।
(vii) तीस वर्ष से अधिक की अवधि या शाश्वतता के लिए तात्पर्यित है, या किसी निश्चित कालावधि के लिए तात्पर्यित नहीं है:	वही शुल्क जो हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर उस सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर लगता है:

परन्तु किसी भी मामले में जब पट्टा करने का करार पट्टे के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात् निष्पादित किया गया है, ऐसे पट्टे पर शुल्क सौ रूपये से अधिक नहीं होगा।

छूट:- खेतिहर की दशा में तथा खेती करने के प्रयोजनों के लिए निष्पादित पट्टा (जिसके अन्तर्गत खाद्य या पेय के उत्पादन के लिए वृक्षों का पट्टा है)।

33-क. से 58. XX XX XX

XX XX XX XX

Confidential
Bill No. 3 of 2023

(Authorised English Version)

THE RAJASTHAN FINANCE BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998 in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2023-24.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2023.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clause 4 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

3. Amendment of section 59, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In clause (i) of section 59 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for the existing expression "two months", the expression "six months" shall be substituted.

4. Amendment of Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act, for the existing Article 33, the following shall be substituted, namely:-

" **33. Lease-** Including an under lease or sub-lease and any agreement to let or sub-let or any renewal thereof,-	In case of instruments mentioned in clauses (i) to (vi) on the market value of the property at the telescopic rate obtained by applying the following factors on the period of lease, namely:-
Where such lease purports to be-	
(i) for a period not exceeding one year	0.02;
(ii) for a period exceeding one year but not exceeding five years	0.12;
(iii) for a period exceeding five years but not exceeding ten years	0.9;
(iv) for a period exceeding ten years but not exceeding fifteen years	2;
(v) for a period exceeding fifteen years but not exceeding twenty years	5;
(vi) for a period exceeding twenty years but not exceeding thirty years	8;
(vii) for a period exceeding thirty years or in perpetuity,	The same duty as on a

or which does not purport for any definite period Provided that in any case when an agreement to lease is stamped with the stamp required for a lease, and a lease in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such lease shall not exceed hundred rupees. **Exemption.-** Lease executed in the case of cultivator and for purposes of cultivation (including a lease of trees for the production of food or drink). **Explanation.-** For the purpose of determining the period of a lease any period less than one year shall be rounded off to the next one year.	conveyance (No.21) on the market value of the property:

Illustrations.-

1. Obtaining the rate of stamp duty applicable on the lease of 5 years:-

$$\frac{[(1x0.02)+(4x0.12)]}{5} = \frac{0.5}{5} = 0.1$$

2. Obtaining the rate of stamp duty applicable on the lease of 15 years and 5 months:-

$$\frac{[(1x0.02)+(4x0.12)+(5x0.9)+(5x2)+(1x5)]}{16} = \frac{20}{16} = 1.25$$

3. Obtaining the rate of stamp duty applicable on the lease of 25 years:-

$$\frac{[(1x0.02)+(4x0.12)+(5x0.9)+(5x2)+(5x5)+(5x8)]}{25} = \frac{80}{25} = 3.2.$$ ".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

Clause (i) of section 59 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended to extend the limitation period from two months to six months so as to make it similar to limitation periods prescribed under clause (ii) and (iii) of the said section.

With a view to rationalize the rates as well as method of calculation of stamp duty on the lease deed, Article 33 of the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

(अशोक गहलोत)
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अंतर्गत माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश

[सं.प. 12(5)वित्त/कर/2023 दिनांक 10.02.2023
प्रेषक:श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर]

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2023 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित और प्रचालित किये जाने की सिफारिश की है।

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998
(ACT NO. 14 OF 1999)

XX **XX** **XX** **XX**

1. to 58. XX XX XX

59. Application for relief under section 58 when to be made.- The application for relief under section 58 shall be made within the following periods, that is to say,-

(i) in the case mentioned in clause (d) (vi), within two months of the date of the instrument;

(ii) in the case of a stamped paper on which no instrument has been executed by any of the parties thereto within six months after the stamp has been spoiled;

(iii) in the case of a stamped paper in which an instrument has been executed by any of the parties thereto, within six months after the date of the instrument, or, if it is not dated, within six months after the execution thereof by the person by whom it was first or alone executed:

Provided that,-

(a) when the spoiled instrument has been for sufficient reasons sent out of India, the application may be made within six months after it has been received back in India;

(b) when, from unavoidable circumstances, any instrument for which another instrument has been substituted cannot be given upto be cancelled within the aforesaid period, the application may be made within six months after the date of execution of the substituted instrument.

60. to 91. XX XX XX

XX XX XX XX

THE SCHEDULE
(See section 3)

Description of instrument	Proper Stamp Duty
1	**2**
1. to 32. XX	XX XX
33. Lease- Including an under lease, or sub lease and any agreement to let or sub-let or any renewal thereof,-	
Where such lease purports to be-	
(i) for a period less than one year.	0.02 percent of the market value of the property.
(ii) for a period not less than one year but not exceeding five years.	0.1 percent of the market value of the property.
(iii) for a period exceeding five years but	0.5 percent of the market value of the

	not exceeding ten years.	property.
(iv)	for a period exceeding ten years but not exceeding fifteen years.	One percent of the market value of the property.
(v)	for a period exceeding fifteen years but not exceeding twenty years.	Two percent of the market value of the property.
(vi)	for a period exceeding twenty years but not exceeding thirty years	Four percent of the market value of the property.
(vii)	for a period exceeding thirty years or in perpetuity, or does not purport for any definite period.	The same duty as on a conveyance (No. 21) on the market value of the property:

Provided that in any case when an agreement to lease is stamped with the stamp required for a lease, and a lease in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such lease shall not exceed hundred rupees.

Exemption:-Lease, executed in the case of cultivator and for purposes of cultivation (including a lease of trees for the production of food or drink).

33-A. to 58. XX XX XX

XX **XX** **XX** **XX**